DRA Annual International Conference On
Developed India @2047: Global Pathways for Sustainable Socio- Economic, Linguistic, Science and Technological Transformation

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 [Special Issue 1] Year 2026*

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

भारतीय राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन

पुष्पा कालरवाल [1*], डॉ. सर्वेश कुमार [2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

[2] शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय, चीमनपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * पुष्पा कालरवाल

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21725156

सारांश

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि महिलाओं को संविधान द्वारा समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। इस शोध-पत्र में भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक सहभागिता, *73*वें एवं *74*वें संविधान संशोधनों के प्रभाव, पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण तथा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग, राजनीतिक जागरूकता, जाति, वर्ग तथा सांस्कृतिक परिवेश महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, नेतृत्व विकास, सामाजिक जागरूकता, समान अवसर तथा प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन आवश्यक है। महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि समावेशी एवं सतत् विकास को भी गति प्रदान करती है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-01-2026
- **Accepted:** 30-06-2026
- **Published:** 06-07-2026
- **MRR:**4(SP1); 2026: 317-322
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कालरवाल पु, कुमार स. भारतीय राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):317-322.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, महिला प्रतिनिधित्व, पंचायत राज, 73वाँ संविधान संशोधन, 74 वाँ संविधान संशोधन, महिला आरक्षण, स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र, नेतृत्व विकास।

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

भारत में विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति दयनीय ही रही है, बात महिला राजनीति की है, आजादी की लड़ाई के दौरान और स्वतंत्रता के बाद के दौर में राजनीतिक पटल पर कई महिलाएं आई है और अपनी छाप छोड़कर चली गई, लेकिन सफल महिला राजनीतिज्ञों की संख्या लगभग नगण्य है। समूची दुनियां सहित भारत का राजनीतिक पटल भी लगभग महिला विहिन ही है, आज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है। महिलाओं को चैके से संसद तक लाने की बाते तो बहुत होती है, लेकिन उसकी जिन्दगी घर, परिवार, चुल्हे-चैके और ग्लैमर आर्टिकल तक ही सिमटी रहती हैं।

महिलाएं केवल माता-पिता या बेटियाँ ही नहीं है, वे समाज के जिम्मेदार नागरिक भी है। किसी भी राष्ट्र को बड़ा बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का स्थान दिया जाता है, लेकिन आए दिन देखने में आता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण बहुत अधिक हो रहे है, यह शोषण शारीरिक और मानसिक सभी तरह का होता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे विश्वास करें कि महिला का स्थान देवी के समाान है। महिला के देवी कहने वाले लोग ही उनका शोषण करने से हिचकते नहीं है।

जिस समाज में महिलाओं का शोषण होगा वह समाज कभी विकास नहीं कर सकेगा क्योंकि समाज का विकास करने के लिए महिलाओं को साथ लेकर चलना जरूरी है, जैसे कोई भी परिवार महिला और पुरुष के साथ-साथ चलना जरूरी है।

भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने से पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और नारी को अपनी तुलना में तुच्छ ही समझता है, इस प्रकार की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। वर्तमान समय में शिक्षित होने के कारण स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि महिलाएं श्ाि िक्षत होकर परिस्थितियों का सामना करना सीख गई है अपने अधिकारों और शक्तियों को पहचानने लगी है, इसीलिए राजनीति में आकर पुरुष के साथ देश के विकास में अपने को भागीदार बनानी चाहती है, लेकिन इसमें पूरी तरह सफल नहीं हैं, क्योंकि राजनीति में उसे नारी नही अपना सकती, जिससे आज नारियों को समान सहभागिता नहीं मिल पायी है। मनी, मसल्स और मुख्य शक्ति के कारण विश्वास ड़गमगाने लगा है इस चुनानी प्रवृत्ति का सबसे बुरा असर महिलाओं की राजनीति हैसियत पर पड़ा है।

राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए जागरूकता पैदा करना और विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सूचनात्मक होना महत्वपूर्ण है अच्छा निर्णय लेना, उन क्षेत्रों का विश्लेषण करना, समुदाय और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए काम करना शामिल है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक उद्देश्य इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है संशोधन ग्रामीण इलाकें में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के अध्यक्षों के लिए सीटों और पदों का आरक्षण का प्रावधान करता हैं, जिन्हें पंचायत कहा जाता है। ग्रामीण भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पर दूरगामी आक्षेपों और महत्वपूर्ण परिणामों के संदर्भ में इसे ऐतिहासिक काम माना जाता है समग्र रूप से समुदायों और राष्ट्र के प्रचालनात्मक विकास के लिए अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है।

राजनीतिक भागीदारी का अर्थ और महत्व

किसी भी समाज या व्यक्तियों के वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के अर्थ और महŸव की समझ प्राप्त करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा है या नहीं। व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और सीमा को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों गुणों के संदर्भ में नियंत्रित किया जा सकता है। असमानताओं का मुकबला करना संभव है और यह केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाने और उनका पालन करके किया जाता है। लोकतांत्रिक के स्तम्भ, जैसे-स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व न्याय और आगे मानव निर्मित असमानताओं के परिणामस्वरूप चुनौतियों और समस्याओं से अभिभूत व्यक्तियों को सहायता, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इस प्रकार राजनीति भागीदारी की प्रभावी समझ हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना महत्वपूर्ण है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: ऐतिहासिक रूपरेखा

भारत में महिलाओं की स्थिति ने प्राचीनकाल से कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। प्राचीन इतिहास में उन्हें सम्मान और समान व्यवहार दिया जाता था। लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई है। इस अवधि में उन्हें कई रीति-रिवाजों और परम्पराओं का पालन करना आवश्यक था, जैसे कि पर्दा-प्रथा, सत्ती प्रथा, बाल-विवाह आदि स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति ने अपनी ताकत वापस पा ली और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जीवन मंे सभी क्षेत्रों जैसे - राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक में भाग लेना शुरू कर दिया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में दाखिला ले रहे है। शिक्षा के महŸव की मान्यता ने उन्हें डाॅक्टर, वकील, शोधकर्ता, शिक्षक, शिक्षाविद्, निदेशक, प्रशासक आदि जैसे पेशेवर बना दिया है। महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से गृहस्थ के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन घर के कामों के कार्यान्वयन के अलावा वे समुदाय और राष्ट्र की प्रगति और विकास के भी प्रभावी योगदान दे रहे हैं।

महिलाओं ने स्वतंत्रता आन्दोलन मंे सच्ची भावना और अड़िग दुस्साहस और साहस के साथ लिया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उन्हें शोषण, विपत्तियों और संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी शामिल थी और उन्होंने चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए आपस में योग्यता विकसित की। भारतीय महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, शुरू में शिक्षित और उदार परिवारों से थी। मोहनदास करमचन्द गांधी द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन में बदल दिया गया, जिससे समाज के सभी वर्ग शामिल थे इसके अलावा इस दृष्टिकोण का प्रचलन था कि देश सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

नहीं होगा, यदि सभी वर्ग प्रभावी रूप से भाग नहीं लेंगे। शाही शासन के खिलाफ उनका सबसे सफल अभियान नमक कर के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसमें महिलाओं को सबसे आगे लाने में योगदान दिया।

महिला आरक्षण का मुद्दा 1973 में अस्तित्व में आया कम से कम एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के आरक्षण के मामलें में आवाजें उठ रही हैं। आखिरकार 1993 में 73वंे और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सिफारिश की गई। महिला आरक्षण विधेयक या संविधान (108वां संशोधन विधेयक भारत में एक लंबित विधेयक है।) जिससे संसद के निचले सदन और सभी राज्य विधान सभाओं में महिलओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। बारी-बारी से आरक्षित की जाने वाली सीटों का निर्धारण डाॅ. द्वारा इस प्रकार किय जाता है कि एक सीट लगातार तीन आम चुनावों में केवल एक बार आरक्षित की जाएगी महिला आरक्षण 9 मार्च, 2010 को राज्य सभा में पारित किया गया था। लेकिन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रतिरोध के कारण लोकसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया जा सका।

भारतीय संविधान ने 1993 में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों की स्थापना, शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबधित प्रावधान किए जिसमें हर राज्य में तीन स्तरीय प्रणाली यानी पंचायत, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर ग्राम शासन निकाय शामिल थे। राज्यों ने पंचायतों की संरचना के लिए कानून के माध्यम से सशक्तिकरण के अवसर हासिल किए हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नेतृत्व के पदों का प्रावधान किया। राज्य सरकार को कुछ कानूनों और प्रक्रियाओं को तैयार करने का कानून में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। स्थनीय स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या के रिकाॅर्ड के रख-रखाव की दिशा में काम कर रहा है और आंकड़े बताते है कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 30 से 50 प्रतिशत महिलाएं है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कई सालों से की जा रही है। लेकिन आज तक वो विधेयक पारित नहीं हुआ है, वह विधेयक कब संसद की दहलीज पार कर पाएगा यह आज न तो लोकसभा को पता है और न ही सरकार को। सामाजिक राजनीतिक और अन्य कार्य क्षेत्रों मंे महिलाओं के सामने आने वाले मुश्किलों को दूर करने वाली बात कहीं जाती है व उसका हल भी निकाला जाता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।

महिला की स्थिति के बारे में कहा जाता है कि चुनाव में तथा रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़े हुए प्रश्नों पर अपने राय जाहिर करने की तरह ही राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में एक क्रमिक वृद्धि के बावजूद राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की सामथ्र्य अभी तक महिलाओं के पास नहीं है, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का कारण राजनीतिक दलों और महिलाओं की संख्या बहुत कम पायी जाती है। हमारा आधुनिक भारतीय समाज आज की राजनीति में महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व की सिद्धांत को अपनाने में हिचकिचा रहा है, जिस कारण वे महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है।

भारत में महिलाओं का जीवन मुख्य रूप से उन कारकों पर केन्द्रित हैं, पितृसत्ता, उत्पादक संसाधन, गरीबी, पदोन्नति और शक्तिहीनता के रूप में माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं को दो-तिहाई काम में लगाया जाता है जबकि अपने काम के बदले में, वे सभी आय का केवल 10 प्रतिशत प्राप्त करते है और वैश्विक स्तर पर उत्पादन के साधनों का केवल एक ही प्रतिशत हिस्सा लेते हैं। (भारत में महिलायें राजनीतिक भागीदारी, एन.डी.) महिलाऐं विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के क्रियान्वयन में लगने से काम करती है उनका काम पर अवैतनिक हैं, जबकि घर के बाहर कम भुगतान किया जाता है, खासकर अल्पसंख्यक नौकरियों में महिलाओं को ज्यादातर हाथ से काम करने की आवश्यकता होती है। लकिन जब वे पूर्णकालीन आधार पर मैनुअल नौकरियों में कार्यरत होते है, तब भी उनका वेतन कम होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि वे नौकरी के कर्तव्यों के कार्यान्वयन में पूरे दिल से भाग लेते हैं।

राजनीतिक भागीदारी के चर

राजनीतिक भागीदारी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करके अकेलेपन और एकान्त को कम करने में सक्षम बनाती है। एक प्रभावी राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने के लिए, व्यक्तियों को अपना मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है, तो वे न केवल अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम होते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ संचार सम्बन्धों को सामाजिक गतिविधियों द्वारा अकेलेपन को भी कम करते हैं। प्रत्येक समाज ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी नहीं होती है। यह अंतर उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण है व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक वातावरण का विकास उनकी मानसिकता के आधार पर होता है। व्यक्ति रूचि विकसित करते हैं और अपनी रूचियों और क्षमताओं के आधार पर विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष राजनीति में अधिक शामिल होते है।

सामाजिक-आर्थिक वातावरण

व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक-आर्थिक वातावरण के बीच सीधा सम्बन्ध है। जब व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों और कार्यों में शामिल हो रहे होते हैं, तो सामाजिक-आर्थिक कारकों का उनके कार्यों पर काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक चर में शिक्षा, व्यवसाय, आय, आयु, जाति, पंथ, नस्ल, जातीयता, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि शामिल है। उच्च व्यवसायिक और आय समूहों के बेहतर शिक्षित सदस्यों, मध्यम आयु वर्ग, प्रमुख जातीय और धार्मिक समूहों, राजनीतिक और पारिवारिक

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों, बसे हुए निवासियों, शहरी निवासियों और स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों के संदर्भ में राजनीतिक भागीदारी अधिक होती है। हालांकि राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के बीच सम्बन्ध संस्कृति सामाजिक मूल्यों, मानदण्डों, सिद्धांतों और मानकों के संदर्भ में भिन्न हो सकते है। वे राजनीतिक संदर्भों के संदर्भ में भिन्न है और राजनीतिक भागीदारी का उनका प्रभाव स्तर नहीं हो सकता है। इसीलिए वे समय के साथ परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं।

राजनीतिक वातावरण

विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के कार्यान्वयन में राजनीतिक वातावरण को काफी हद तक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक परिवेश के कारक हैं - दल प्रणाली की प्रकृति, चुनाव प्रणाली, प्रचार और अभियान के साधन, आधुनिकीकरण और शहरीकरण की सीमा, विचारधारा का प्रभाव, व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना, आधुनिक और नवीन तकनीकों का उपयोग और तरीके आदि। इसीलिए समाज के भीतर हो रहे परिवर्तनों और परिवर्तनों के साथ व्यक्तियों को इन पहलुओं के संदर्भ में अधतन रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक भागीदारी को सुगम बनाने में राजनीतिक दल सबसे शक्तिशाली साधन है। प्रचार और चुनाव अभियान राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए किए गए प्रयासों को संदर्भित करते है। लोकतंत्र और आधुनिकरण की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनीतिक भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। पारम्परिक समाज में सरकार और राजनीतिक को संकुचित अभिजात वर्ग की चिंताओं के रूप में माना जाता है।

सामाजिक आन्दोलन

सामाजिक आन्दोलनों और स¬िक्रयता में महिलाओं की भागीदारी औपचारिक राजनीति में उनकी भागीदारी को मजबूत कर सकती है।

शिक्षा और साक्षरता

उच्च साक्षरता दर और शिक्षा का स्तर महिलाओं को राजनीतिक में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।

जाति वर्ग और धर्म

महिलाओं की राजनीति पसन्द, उनकी जाति, वर्ग और धार्मिक पहचान से प्रभावित होती है, जो उनके मतदान व्यवहार एवं पार्टी सम्बन्धता को प्रभावित करती है।

राजनीतिक पार्टी की रणनीतियाँ

लक्षित नीतियों या कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के साथ राजनीतिक दलों की पहुंच और जुड़ाव और उनकी भागीदारी को प्रभावित करता है।

क्षेत्रीय और राज्य विशिष्ट कारक

स्थानीय दलों की क्षमता और राज्यों के विशिष्ट मुद्दों सहित क्षेत्रीय राजनीतिक संदर्भ महिलाओं के राजनीतिक व्यवहार को आकार दे सकते हैं।

मापन ढांचा

माप ढांचे का विश्लेषण करते समय उन पहलुओं की समझ हासिल महत्वपूर्ण है जो महिलाओं की भलाई के लिए आवश्यक है। इनमें शामिल है, भारतीय चुनावी ढांचे का परिचय, भारत में चुनावी आंकड़े, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और महिला समूहों का विकास इसमें शामिल है।

भारतीय चुनावी राजनीति का परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें शासन संरचना तीन परतों से युक्त है ये हैं - केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार (शहर व ग्रामीण) इन तीनों का चुनाव चुनाव आयोग के स्वतन्त्र निकाय द्वारा किया जाता हैं, जिसका गठन केन्द्र व राज्य स्तर पर अलग-अलग होता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का मुखिया भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य दो को छोड़कर जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है, सीधे आम चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं, जो हर पांच साल में एक बार सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार द्वारा हो सकते हैं। भारत में पहले चुनाव के बाद से महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। राज्यसभा के सदस्य, भारतीय संसद के ऊपरी सदन, एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और भारत के राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश शामिल होते हैं। इसी तरह की संरचना भारत में राज्यों में रखी गई है, जिसमें दो निकाय शामिल है - जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद् कहा जाता है। क्रमिक केन्द्रीय और राज्य चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में महिलाओं का प्रतिनिधि हैं, जब चुनावों में भाग लेने की बात आती है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका मंे महिला भागीदारी का काफी अभाव है। भारतीय संविधान के 73वंे और 74वें संशोधनों के साथ शासन का एक तीसरा स्तर बनाया गया। इसमंे स्थानीय स्तर की योजना के लिए नए अवसरों का प्रावधान करने और देश के भीतर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी में मदद की।

महिलाओं की राजनीति में भूमिका

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तीन पहलुओं के संदर्भ में ध्यान रखा जा सकता है। मतदाता के रूप में उनकी भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी। जब इन पहलुओं को उचित तरीके से व्यवहार में लाने की आवश्यकता होती है, तो महिलाओं के पास कुछ कौशल और क्षमताएँ होने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

राजनीति में शामिल महिलाएँ उच्च शिक्षित नहीं हो सकती, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण कारकों के संदर्भ मंे अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है। इस मामलें में महत्वपूर्ण कारक है,ं गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्याओं को कम करना। मुख्य रूप से गरीबी से पीड़ित और समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को बेहतर आजीविका के अवसर अर्जित करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

भारत में महिलाएं मतदान करती है, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ती है और राजनीतिक दलों मंे शामिल होती हैं, लेकिन उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र है। राजनीति में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की है।

भारत के 2014 के संसदीय आम चुनावों के दौरान, महिलाओं के लिए मतदान 65.63 प्रतिशत था, जो पुरुषों के लिए 67.09 प्रतिशत मतदान में थोड़ा कम था। प्रगति के बावजूद संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामलों में भारत 185 देशों में से 143 वें स्थान पर है। हालांकि भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हांसिल की है। दशकों से वे राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए चुनी जाती रही है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली स्थापित करता है जो सभी नागरिकों को वोट देने पद धारण करने, मुक्त भाषण, इकट्ठा (संघ) बनाने के अधिकार की गारन्टी देता है। भारत के संविधान में लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव का प्रतिबन्ध लगाकर, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाकर और महिलाओं के लिए निर्वाचित पदों को आरक्षित करके लैंगिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। मानवीय कार्य परिस्थितियाँ, मातृत्व राहत, काम और शिक्षा के अधिकार और जीवन स्तर को ऊपर उठाने सहित वर्ग और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।

महिलाओं ने 20वीं सदी की शुरूआत में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता ने संवैधानिक अधिकारों के रूप में लैंगिक समानता लाई, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कम रही है।

महिला समूहों का विकास

महिला समूहों के विकास को उनके बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य कारकों में से एक माना जाता है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य रूप से समाज के वंचित और हासिएं के वर्गों से संबंधित महिलाएं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हैं। समाज, क्षेत्र या देश के प्रभावी विकास और विकास के लिए महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है लगभग 70 लाख महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.सी.) की सदस्य हैं, इस बदलाव से लाभान्वित होगी। वर्ष 2001 में, मिशन शक्ति परियोजना का विकास हुआ है। राज्य के भीतर कोई बस्ती नहीं है, बिना मिशन शक्ति समूह के लगभग हर दूसरे घर में एक सदस्य होता है, जो मिशन शक्ति का हिस्सा होता है। वर्तमान अस्तित्व में एक आन्दोलन में परिवर्तन हो गया है।

महिला समूहों के विकास ने न केवल महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि उन्हें जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सक्षम बनाया है। जब महिला समूहों के विकास या महिलाओं के सशक्तिकरण के अवसरों पर जोर दिया जाता है तो समाज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में रहने वाली महिलाएं और लड़कियाँ जो शिक्षित नहीं है, किसी भी रोजगार से नहीं लगी है और केवल घरेलू जिम्मेदारियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिन्हें जागरूक और सूचनात्मक बनाने की आवश्यकता है।

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

वर्तमान अस्तित्व में महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को लाना एक प्रमुख चिन्ता का विषय माना जाता है। यह विशेष रूप से समाज के वंचित, हाशिएं पर और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है सत्ता और शक्ति का विकेन्द्रीकरण। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्तियों को स्वयं के साथ-साथ अन्य चिन्ताओं के संदर्भ में बोलने का अवसर देने का एक नया तरीका है। कायकर्ता चाहते हैं कि सरकार विधायी उपायों और कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा लोगों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाएं। सशकितकरण को उस प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके द्वारा असशक्त या शक्तिहीन व्यक्ति परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते है और अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसका परिणाम जीवन परिस्थितियों में शक्ति संतुलन में परिवर्तन के साथ-साथ दूसरों के साथ प्रभावी नियम और सम्बन्ध बनाए रखने में होता है। राजनीति भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, महिलाओं के समान दर्जा देना, उन्हें अधिकारों और अवसरों का प्रावधान करना, विशेष रूप से उनकी आजीविका के अवसरों को समृद्ध, जैसे - शिक्षा का प्रावधान करना और उन्हें रोजगार सेटिंग्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें अपने निर्णय लेने और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि घरेलु प्रवचन, बाल विकास, स्वास्थ्य देखभाल आदि। भारत में उपाय और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे ताकि वे बाहर जा सकें और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग ले सकें। इसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल है। सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त करने के लिए, महिलाओं के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध और सम्बन्ध बनाए रखना और उनकी सहमति और सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य या गतिविधियों में संलग्न

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

होने पर परिवार के सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण समुदायों के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। वे घर के भीतर ही सीमित है और घरेलु जिम्मेदारियों के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

सिफारिशें

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सफलता और भागीदारी की प्राप्ति में परिवार मुख्य निर्धारक बना रहता है। पंचायत के कामकाज में परिवार की भागीदारी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता है। मतभेदों को कम करने के लिए महिलाओं के बीच शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की जाती है। शिक्षा की कमी को उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। जो राजनीति भागीदारी के दौरान एक बाधा साबित होंगे इसीलिए किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सभी आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों के बीच शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदाय में भी, व्यस्क पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता कौशल और शिक्षा को बढ़ा रहे है।

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानन्द का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहां की महिलाओं की स्थिति हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सकें। हमारी भूमिका महिलाओं की जिन्दगी में उनका उद्धार करने वाले की न होकर उनका साथी बनने और सहयोगी की होनी चाहिए। क्योंकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें। कमी अगर कहीं है तो बस इस बात की, हम एक समाज के तौर पर उनकी काबलियत पर भरोसा करना सींखे ऐसा करके ही हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे। ऐसे में भारतीय राजनीतिक परिवेश में फिलहाल वक्त जो 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं उन्हें देश की अन्य महिलाओं की आवाज को सांसद में मजबूती से उठाना चाहिए और साथ ही महिलाओं से जुड़े समकालीन ज्वलन्त मुद्दों को भी सदन में मजबूती से रखें यदि ये निर्वाचित सांसद इन सभी विषयों को गंभीरता से सदन में उठानी है और इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है तो यह देश की बड़े नागरिक वर्ग के साथ न्याय होगा ही साथ ही भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा जो देश और समाज सभी के हित में होगा।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए आन्दोलन में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। यह माना गया है कि महिलाएँ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक ताकत में बदल रही है। राजनीतिक दल महिलाओं की जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। जिनकी आबादी 586.5 मिलियन है और लगभग 48.46 प्रतिशत मतदाता है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा प्रज्ञा. महिला विकास और सशक्तिकरण. जयपुर: अविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स; 2011.
2. गुप्ता कमलेश कुमार. महिला सशक्तिकरण: सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति. नई दिल्ली: बुक एन्कलेव; 2006.
3. श्रीवास्तव सुधार रानी. भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति. नई दिल्ली: कॉमन वेल्थ पब्लिकेशन; 1999.
4. धवन हरिमोहन. महिला सशक्तिकरण. आगरा: रावत पब्लिकेशन; 1998.
5. सिंह राजबाला, सिंह मधुबाला. भारत में महिलाएं. जयपुर: अविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स; 2006.
6. सिन्हा निरोज. वूमैन इन इंडियन पॉलिटिक्स. दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस; 2000.
7. गोस्वामी बी. इंडियन वूमैन इन पॉलिटिक्स. दिल्ली: अभिषेक पब्लिकेशन; 2016.
8. कुमावत ललित. पंचायत राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व. नई दिल्ली: क्लासिकल पब्लिशिंग; 2004.

समाचार पत्र–पत्रिकाएँ:

9. राजस्थान पत्रिका.
10. दैनिक भास्कर.
11. इंडिया टुडे.
12. दैनिक नवज्योति.

प्रमुख वेबसाइट्स

1. https://www.inspirajournals.com
2. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in
3. https://www.journalofpoliticalscience.com
4. https://ijrrssonline.in
5. https://dspmuranchi.ac.in
6. https://en wikipedia.org
7. https://ijarsct.co.in

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.

© 2026 पुष्पा कालरवाल, डॉ. सर्वेश कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/